सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/401 दर्ज तिथिः—05.06.2025

1. भागीरथराम पुत्र नराण
2. रमेश कुमार पुत्र भागीरथराम
3. श्रवण खिलेरी पुत्र भागीरथराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अरविन्द पुत्र बगाराम
2. केसरा पुत्र हाजा
3. गोपाल पुत्र बगाराम
4. चन्दनो पत्नी काछबा
5. जेरूपा पुत्र हेमा
6. जेसाराम पुत्र कानाराम
7. ठाकरी पुत्र हेमा
8. दिनेश पुत्र काछबा
9. बालकाराम पुत्र कानाराम
10. मेतीदेवी पत्नी कानाराम
11. वींजाराम पुत्र नरीगाराम
12. सुकीदेवी पत्नी नरीगाराम
13. सुकीदेवी पत्नी बगाराम
14. सुजाना पुत्र हाजा फौत के कायम मुकाम वारिसान
    14/1 हितु पुत्र सुजाना
    14/2 पियुष पुत्र सुजाना
    14/3 मफी पत्नी सुजाना
15. सुरेश पुत्र काछबा
16. हरीश कुमार पुत्र बगाराम
    जाति रबारी निवासी बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी
17. खंगाराराम पुत्र रूपाराम
18. गीता पुत्री पाताराम
19. झीणी पुत्री पाताराम
20. दिनेश पुत्र पाताराम
21. पारूदेवी पत्नी पाताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

22. मेगाराम पुत्र पाताराम (अविवाहित फौत)
23. मीरोदेवी पत्नी प्रभूराम
24. रमकु पुत्री पाताराम
25. सन्तीदेवी पत्नी जगाराम
26. सुरेश पुत्र पाताराम
    जाति कलबी निवासी बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी

.....अप्रार्थीगण

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री प्रागाराम बोगराज
अप्रार्थी सं. 17, 23, 25, 26ः—श्री चिमनसिंह चौधरी
शेष अप्रार्थीगण—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 505/450/2.6830 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 479/448/4.2815 है0, खसरा संख्या 449/7.1629 है0 से होते हुए हुए प्रार्थीगण की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा फसल के समय उक्त रास्ते पर काश्त करने के कारण मार्ग का अभाव हो जाता है तथा लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। इस कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17, 23, 25, 26 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण विधिवत तामील पश्चात् अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 17, 23, 25, 26 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
    - कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 505/450 में आने जाने हेतु विप्रार्थी सं. 17, 23, 25, 26 के खेत खसरा संख्या 449 व 449/448 में से नवीन रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

मांग की गई है। जबकि प्रार्थी का खसरा संख्या 505/450 पूर्व में ही कट्टाण रास्ते से गुड़ामालानी से नई वाली जाने वाली मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है।

- कि इस प्रकार प्रार्थी के नवीन रास्ते का आवेदन आंत्यधिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं आकर मात्र अत्यधिक सुविधा का उपभोग की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।
- कि प्रार्थी का खसरा पूर्व में कटाण रास्ते से जुड़ा होने एवं न्यायालय में प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाकर एवं विप्रार्थीगण को बेजा परेशान व तंग करने की नियत से तथा अप्रार्थीगण के खसरों को दो भागों में विभक्त करने और न्यायालय का समय बर्बाद करने के उद्देश्य से पेश किया हुआ होने से काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2024 दिनांक 31.01.2026 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू–अभिलेख निरीक्षक, रतनपुरा मय पटवारी हल्का भाखरपुरा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 31.01.2026 को भू–अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। प्रकरण में दौराने–ए–जिरह अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह निवेदन किया कि प्रार्थी के खसरे तक पूर्व से ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल–ए–खारिज है।

कानूनी–प्रावधान

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *- (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, ***on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.***

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः–

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2024 दिनांक 31.01.2026 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु एक वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड पूर्व से ही है। इस प्रकार प्रकरण में शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी को पूर्व से ही उपलब्ध रिकॉर्डेड रास्ते का विवरण निम्न प्रकार है—

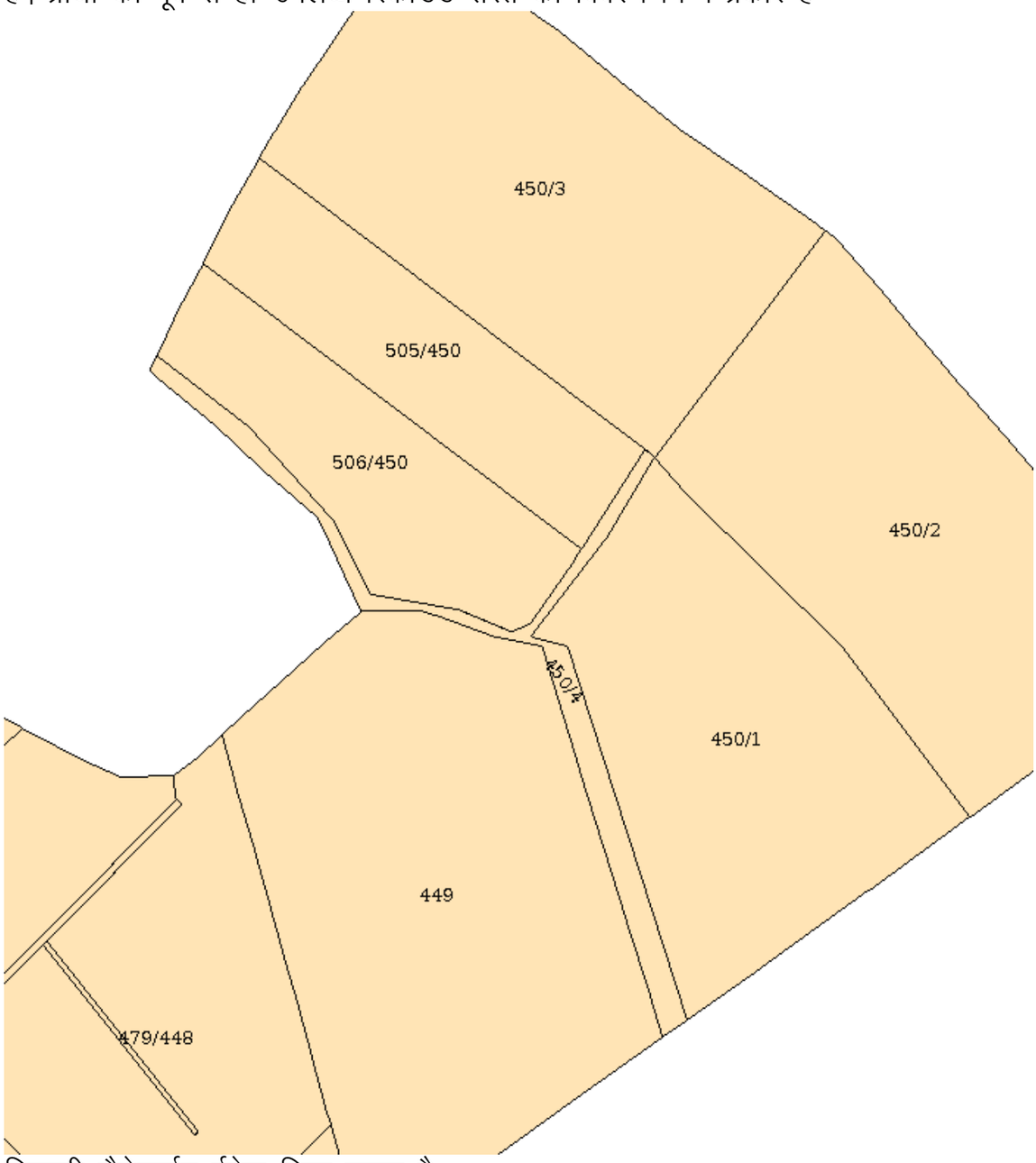

जिसकी सैटेलाईट ईमेज निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि किसी खातेदार की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न चार स्थितियां सामने आती हैंः—

1. प्रथम स्थिति में किसी प्रकरण में किसी खातेदार द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से आरम्भ होकर अपनी आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि किसी खातेदार द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में उस खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

होती है। उक्त स्थिति में उस खातेदार का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में किसी खातेदार द्वारा पूर्व से ही अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क को धारा–251–ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते/सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि उस खातेदार द्वारा पूर्व से ही विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में उस खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी उस खातेदार का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में किसी खातेदार द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि उस खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में उस खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में उस खातेदार का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

4. चतुर्थ स्थिति में किसी खातेदार द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि उस खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा–चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर–अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में उस खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में उस खातेदार का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

5. पंचम स्थिति में किसी प्रकरण में किसी खातेदार की खातेदारी आराजी तक पूर्व से ही रिकॉर्डेड रास्ते की पहुंच उपलब्ध है। परंतु उस खातेदार द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से भिन्न मार्ग से होकर अपनी आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि किसी खातेदार द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते से भिन्न मार्ग से होकर अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। ऐसा आवेदन प्रार्थी के आवास व खातेदारी आराजी के मध्य लघुत्तम व सुविधाजनक रास्ते की मंशा के साथ किया गया प्रतीत होता है। इस स्थिति में उस खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में उस खातेदार का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

10. प्रकरण का उक्त पांच परिस्थितियों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2024 दिनांक 31.01.2026 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम बारूड़ी के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु एक वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड पूर्व से ही उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रकरण पंचम स्थिति के अंतर्गत आता है।

6. अतः प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 505/450 मौजा बारूड़ी तक पूर्व से ही एक रिकॉर्डेड रास्ते की उपलब्धता है। इस कारण प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2026/2024 दिनांक 31.01.2026 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 10:45:04 IST
Reason: SelfAttested